<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या- 197/2020/2360/41-2020-50(बजट)/2018</u>

लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2020

<u>संख्या-150/2020/1553/41-2020-50(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2020</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद मथुरा के महावन स्थित ब्रह्माण्ड घाट का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्यों हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश **<u>संख्या-150/2020/1553/41-2020-50(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2020</u>** के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 2033/6-1-1/ ब्र0ती0वि0प0 /(04)/2019 दिनांक 26-8-2020 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त शासनादेश में पृष्ठांकन के **क्रम सं0-6** में त्रुटिवश **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर **वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा** अंकित होना चाहिए था।

2. अत: शासनादेश **<u>संख्या-150/2020/1553/41-2020-50(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2020</u>** के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-6** पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** के स्थान पर एतद्द्वारा **वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक **04 अगस्त, 2020** उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 197/2020/2360/41-2020-50(बजट)/2018</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव,पर्यटन विभाग,उ0प्र0शासन।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी , उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा ।
7- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12- उप निदेशक,आगरा।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in